प्रेषक

संख्या–135/9–9–11–190–द्वि.रा.वि.आ./04

आलोक रंजन,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3– निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग–9

लखनऊः दिनांक 18 मार्च 2011

विषयः– नगर पालिका परिषदों/पंचायतों में सम्पत्ति कर का अनिवार्य करों की श्रेणी में वर्गीकरण एवं गृहकर हेतु स्वमूल्यांकन व्यवस्था के लिए अधिनियम में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रदेश की नगर पालिका परिषदों/पंचायतों के आय के संसाधन में वृद्धि एवं एकरूपता बनाये रखने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 को उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन 2011 द्वारा निम्नलिखित व्यवस्था करने के उद्देश्य से संशोधित किया गया है:–

(क) नगर पालिका द्वारा संपत्ति कर को उदग्रहीत करना (धारा 128)
(ख) नगर पालिका के निवासियों को स्वकर निर्धारण की सुविधा प्रदान करना (धारा 141 क)
(ग) नगर पालिका के क्षेत्र के भीतर गैर आवासीय संपत्ति के संबंध में वार्षिक मूल्य की परिभाषा को परिवर्तित करना (धारा 140)

2. अधिनियम में उक्त संशोधन उत्तर प्रदेश असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग–1 के खण्ड–क में अधिसूचना दिनांक 11.03.2011 द्वारा प्रकाशित किया गया है। अधिनियम में संशोधन से सम्बन्धित प्राविधान संलग्न हैं।

कृपया अधिनियम की उक्त संशोधित व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नक यथोपरि।

भवदीय

(आलोक रंजन)
प्रमुख सचिव

स्थानीय निकाय निदेशालय,उ0प्र0
इन्दिरा भवन, लखनऊ

संख्याः 8/650 /11–स्वमूल्यांकन

लखनऊः दिनांकः अप्रैल 15, 2011

उपरोक्त अधिनियम–संशोधन की प्रति सहित समस्त अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष, नगर पालिका परिषदें/नगर पंचायतें ,उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि इस संशोधित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

15/4/11

(कु0 रेखा गुप्ता)
निदेशक